

AAE - 7 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

NOVEMBER, 2009

PROCUREMENT, SUPPLY ACCOUNTS,  
INTERNAL AUDIT AND CONTROL  
(With Books)

*Time Allowed : 2 Hours*

*Maximum Marks : 65*

**Books allowed:-**

1. DGS&D Manual
2. General Conditions of Contract Published by DGS&D
3. (a) Central Government Account (Receipt and Payment) Rules, 1983  
(b) General Financial Rules - 2005
4. Supply Accounts Manual (Second Edition, 1997)
5. Indian Contract Act, 1872
6. Central Sales Tax Act, 1956
7. Limitation Act, 1963
8. Inspection Code issued by Controller General of Accounts (1982 Edition)

**Notes:-**

1. This question paper consists of 4 pages and has 5 questions.
  2. Answer question Nos.1 which is **Compulsory** and any **two** of the remaining questions.
  3. Marks are noted against each question.
  4. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner and invite reference to the relevant provisions of Rules (wherever applicable).
- 
1. The DGS&D place a Supply Order No. 17 dated 16.12.2007 to M/s Priyanshu Supply Ltd., Industrial Area II, Rai Bareilly (U.P.) with paying authority Controller of Accounts, Deptt. of Supply, New Delhi, with the following details:  
Indentor - Director General, All India Radio,  
New Delhi

Indent No.	- RPL/22/19/2007-2008/VCC.02 dated 28.12.2007
Consignee's Accounts Officer	- AO, PAO, Ministry of I&B, New Delhi
Security Deposit	- Rs.1,00,000 to be deposited by 31.1.2008
Date of Delivery	- 28.2.2008
Consignee Name	- Director, AIR, New Delhi
Term of Delivery	- FOR (Rai Bareilly)
Railway Receipt No.	- RR No. 464409 dated 24.2.2008
Inspecting Authority	- Director of Inspection Northern Circle, Kanpur
Description of Stores & Price	- Vertical versus Camera @ Rs.245000 each
Sale Tax	- 4% CST extra

DGS&D has issued an amendment letter asking PAO Supply to deduct Security Deposit of Rs.1,00,000 from the first Bill which was received in PAO on 28.2.2008 through authentication channel.

Rates are firm & final. The Inspector issued the copy of Inspection Note.

The firm submitted 95% bill for 2 Nos. of Camera duly supported with copy No. 1, Photocopy of the RR mentioned above duly supported by the Indentor.

Forwarded the original RR & Inspection Note copy No. 2, 3 & 5 to the consignee vide their letter No. 2888 dated 26.2.2008 under Postal Registration No. 0566 dated 28.2.2008

The firm submitted the Bill No. 02 to the PAO on 28.2.2008

- (a) Work out the amount payable to the Contractor & classify the items. (15 Marks)
- (b) State the accounting procedure for preferring the claim and its adjustment in the books of CCA, Supply.

(10 Marks)

2. (a) What points are seen in the office of CCA Supply in the scrutiny of Power of Attorney? *(10 Marks)*
- (b) Amount of unclaimed deposit of Rs.22,500 in the office of CCA, Supply was credited to the head 0070 - Other Administrative Services - Other Services - Other Receipts Comment. *(5 Marks)*
- (c) A contract is cancelled by Chief Controller of Account, Ministry of Shipping and Road Transport and Highways for default on the part of the firm and no repurchase is made due to withdrawal of indent by the indenter and he reports loss of Rs.7,500. The amount of general damages amounting to Rs.17,500 recovered from contractor is credited to the head 1054-Roads and Bridges-Other receipt. Comment. *(5 Marks)*
3. Answer the following with reference to the provisions contained in DGS&D Manual.
- (a) What are the circumstances where the registered firms are liable to be removed from the list of approved contractors? *(10 Marks)*
- (b) Narrate the criteria considered for rate contract? *(10 Marks)*
4. (a) As a general rule balance 5% payment cannot be released without supporting copy No. 2 & 5 of the Inspection Note. What are the exceptions to this general rule? *(8 Marks)*
- (b) What special attention of the audit parties is required to be paid while conducting the audit of Grant-in-aid? *(7 Marks)*
- (c) Define "Contract" *(5 Marks)*

5. What are the provisions of Internal Audit with regard to:

- (a) revenue receipts (10 Marks)
- (b) foreign service contribution in respect of merged DDO Scheme. (10 Marks)

AAE -7 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

नवम्बर, 2009

अधिप्राप्ति, आपूर्ति लेखे,  
आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण  
(पुस्तकों सहित)

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंक : 65

अनुमत पुस्तकें :

1. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय नियम पुस्तिका।
2. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित संविदा की सामान्य शर्तें।
3. (क) केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983  
(ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005
4. आपूर्ति लेखा नियम पुस्तिका (द्वितीय संस्करण, 1997)
5. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
6. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
7. परिसीमन अधिनियम, 1963
8. महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी निरीक्षण संहिता (1982 संस्करण)।

टिप्पणियां :

1. इस प्रश्न पत्र में 4 पृष्ठ और 5 प्रश्न हैं।
2. प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है और शेष में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3. अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।
4. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों से संबंधित प्रावधानों (जहां लागू हो) का उल्लेख करें।

1. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने मैसर्स प्रियांशु सप्लाइ लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र-II, रायबरेली (उ.प्र.) को दिनांक 16.12.2007 का आपूर्ति आदेश सं.17 दिया

जिससे संबंधित अदाकर्ता प्राधिकारी लेखा नियंत्रक, आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली है। इसका ब्योरा इस प्रकार है :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| मांगकर्ता                | - महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली   |
| मांग सं.                 | - आरपीएल/22/19/2007-2008/वीसीसी.02 दिनांक 28.12.2007                         |
| परेषिती का लेखा अधिकारी  | - लेखा अधिकारी, वेतन तथा लेखा कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली |
| प्रतिभूति जमा            | - 1,00,000 रुपये जो 31.1.2008 तक जमा कराए जाने हैं                           |
| सुपुर्दगी की तारीख       | - 28.2.2008  |
| परेषिती का नाम           | - निदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली  |
| सुपुर्दगी की शर्त        | - रेल तक निःशुल्क (रायबरेली)   |
| रेलवे रसीद सं.           | - आर.आर. सं.464409 दिनांक 24.2.2008  |
| निरीक्षण प्राधिकारी      | - निरीक्षण निदेशक, उत्तरी मंडल, कानपुर                                       |
| भंडार और मूल्य का विवरण- | वर्टीकल वर्सेस कैमरा 245000 प्रत्येक की दर पर                                |
| बिक्री कर                | - 4% केंद्रीय बिक्री कर अतिरिक्त   |

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक ने एक संशोधन पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने वेतन तथा लेखा अधिकारी, आपूर्ति से पहले बिल से 1,00,000 रुपये प्रतिभूति जमा की कटौती करने को कहा जो प्राधिकरण चैनल के माध्यम से 28.2.2008 को वेतन तथा लेखा कार्यालय में प्राप्त हुआ।

दरें पक्की और अंतिम हैं। निरीक्षक ने निरीक्षण नोट की प्रति जारी की।

फर्म ने 2 अदद कैमरों के लिए 95% बिल प्रस्तुत किया जिसके समर्थन में लेखा कार्यालय प्रति सं.1 के साथ निरीक्षण नोट की प्रति सं.1 और उपर्युक्त आर.आर. की फोटो प्रति जिसका मांगकर्ता ने विधिवत समर्थन किया था, लगी थी।

परेषिती को, डाक पंजीकरण सं. 0566 दिनांक 28.2.2008 के अंतर्गत उनके पत्र सं. 2888 दिनांक 26.2.2008 द्वारा मूल आर.आर. और निरीक्षण नोट प्रति सं.2, 3 और 5 भेजी गई।

फर्म ने 28.2.2008 को वेतन तथा लेखा कार्यालय को बिल सं.02 प्रस्तुत किया।

- (क) संविदाकार को देय राशि ज्ञात कीजिए और मदों का वर्गीकरण कीजिए।  
(15 अंक)
- (ख) दावा करने और मुख्य लेखा नियंत्रक, आपूर्ति की बहियों में इसका समायोजन करने से संबंधित लेखाकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।  
(10 अंक)
2. (क) अटर्नी अधिकार की संवीक्षा में मुख्य लेखा नियंत्रक, आपूर्ति कार्यालय में किन बिंदुओं को देखा जाता है ?  
(10 अंक)
- (ख) मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, आपूर्ति में 22,500 रुपये की अदावी जमा की राशि को शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं - अन्य सेवाएं - अन्य प्राप्तियां में जमा कर दिया गया। टिप्पणी कीजिए।  
(5 अंक)
- (ग) मुख्य लेखा नियंत्रक, पोत और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा फर्म की चूक की वजह से एक संविदा रद्द कर दी जाती है और मांगकर्ता द्वारा मांगपत्र वापस लेने के कारण कोई पुनः खरीद नहीं की गई और उसने 7,500 रुपये की हानि सूचित की। संविदाकार से वसूल की गई 17,500 रुपये की सामान्य क्षति की राशि शीर्ष 1054 - सड़क तथा सेतु - अन्य प्राप्ति में जमा कर दी गई। टिप्पणी कीजिए।  
(5 अंक)
3. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय नियम पुस्तिका में शामिल प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (क) वे क्या परिस्थितियां हैं जिनमें पंजीकृत फर्मों को अनुमोदित संविदाकारों की सूची से हटाया जा सकता है ?  
(10 अंक)
- (ख) दर संविदा के लिए विचार किए जाने वाले मानदंडों का वर्णन कीजिए।  
(10 अंक)
4. (क) सामान्य नियम के रूप में शेष 5% अदायगी निरीक्षण नोट की प्रति सं.2 और 5 के समर्थन के बिना जारी नहीं की जा सकती। इस सामान्य नियम के अपवाद क्या हैं?  
(8 अंक)
- (ख) सहायता अनुदान की लेखा परीक्षा करते समय लेखा परीक्षा दलों द्वारा क्या विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है?  
(7 अंक)
- (ग) "संविदा" की परिभाषा लिखिए  
(5 अंक)

5. निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधान क्या हैं :

(क) राजस्व प्राप्तियां (10 अंक)

(ख) विलयित आहरण तथा संवितरण अधिकारी स्कीम के संबंध में अन्यत्र सेवा अंशदान (10 अंक)